रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2423] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2011/पौष 7, 1933
No. 2423] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2011/PAUSA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2011

(आय कर)

का.आ. 2903(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्विस परिसंघ के बीच करार में संशोधन करने वाला एक प्रोतोकाल, जो 2 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ था एवं जिसे 16 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अनुपूरक प्रोतोकोल द्वारा संशोधित किया गया था, पर 30 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे ;

और जबकि, उक्त प्रोतोकोल के प्रवृत्त होने की तारीख 7 अक्तूबर, 2011 है, जो कि उक्त प्रोतोकोल के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त प्रोतोकोल प्रवृत्त होने के लिए संबंधित कानूनों के द्वारा यथाअपेक्षित सभी कानूनी अनिवार्यताओं और कार्य प्रक्रियाओं के तुष्टिकरण के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है ;

और जबकि, उक्त प्रोतोकाल के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (क) में व्यवस्था की गई है कि उक्त प्रोतोकोल के उपबंध, भारत में उस कैलेण्डर वर्ष जिस में वह संशोधनकारी प्रोतोकाल प्रवृत्त हुआ है, के अगले कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे ;

और जबकि, उक्त प्रोतोकोल के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 3 में यह व्यवस्था की गई है कि करार के अनुच्छेद 26 के संबंध में, उक्त प्रोतोकाल में सूचना के आदान-प्रदान की, की गई व्यवस्था, ऐसी सूचना के लिए लागू होगी, जो उक्त प्रोतोकाल के हस्ताक्षर होने की तारीख के अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित है ;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त प्रोतोकोल के सभी उपबंध, जैसा कि उससे संलग्न अनुबंध में निर्धारित किया गया है भारत संघ में 1 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे और करार के अनुच्छेद 26 के संबंध में, उक्त प्रोतोकोल में यथा उपलब्ध सूचना का आदान-प्रदान, ऐसी सूचना के लिए लागू होगा जो 1 अप्रैल, 2011 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित है ।

प्रोतोकोल

2 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोतोकोल सहित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच निष्पन्न करार, जिसे दिनांक 16 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अनुपूरक प्रोतोकोल द्वारा संशोधित किया गया था, में संशोधन करने वाला प्रोतोकोल ।

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्विस परिसंघ काउंसिल

प्रोतोकोल को समाप्त करने के इच्छा करते हुए (जिसे इसके बाद "संशोधित प्रोतोकोल" कहा जाएगा) जिससे संविदाकारी पक्षों के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार को संशोधित किया जा सके, जो 2 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ था एवं जिसे 16 फरवरी, 2000 को हस्ताक्षरित पूरक प्रोतोकोल द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसके बाद "करार" कहा जाएगा)

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 3 का पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (i) (सामान्य परिभाषाएं) को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(i) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य कै किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाया जाता है ;"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 1 (कारोबारी लाभ) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है परन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे ।"

अनुच्छेद 3

करार के अनुच्छेद 8 (वायु परिवहन) को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।"

अनुच्छेद 4

करार के अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) (ब्याज) को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(ग) ब्याज, जो संविदाकारी राज्य में उद्भूत होता है और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किया जाता है एवं जो अंतरराष्ट्रीय यातायात जलयानों या वायुयानों के संचालन में लगा हुआ है, पर उस दूसरे राज्य में उस सीमा तक कर लगेगा जहां ऐसा ब्याज ऐसे क्रियाकलाप से संबंधित निधियों पर अदा किया जाता है ।"

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 3 (पूंजीगत लाभ) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।"

अनुच्छेद 6

करार के अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 2 का उप-पैराग्राफ (ग) (दोहरे कराधान का अपाकरण) को हटाया जाएगा ।

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 24 का पैराग्राफ 2 (समव्यवहार) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन का उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों के करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वे अपने निवासियों को देता है ।"

अनुच्छेद 8

इस करार का अनुच्छेद 26 (सूचना का आदान-प्रदान) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा करार के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए पूर्वानुमानिक तौर पर संगत हैं क्योंकि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल है) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, अपीलों के संबंध में उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन या उनके अपीलों के निर्धारण या उपरोक्त की चूक से संबंधित है । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग

केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में इसे प्रकट कर सकते हैं । पूर्व के होते हुए भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना को अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना का प्रयोग ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए दोनों राज्य के कानूनों के अंतर्गत किया जाता हो और सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों ।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति मे प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, रहस्य प्रकट होगा अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिति या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है । इसलिए ऐसी सूचना प्राप्त करने की प्राधिकारियों को, पैराग्राफ 3 के अथवा इसके स्वदेशी कानूनों में किन्हीं प्रतिकूल उपबंधों के होते हुए भी इस पैराग्राफ में सम्मिलित सूचना के प्रकटन को लागू करने का अधिकार होगा ।"

अनुच्छेद 9

करार के प्रोतोकाल के एक नये पैराग्राफ 1 को जोड़ा जाएगा और शेष पैराग्राफों को तद्नुसार पुनर्संख्यांकित किया जाएगा तथा इन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"1. अनुच्छेद 4 के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 के "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद में उस संविदाकारी राज्य में एक अभिज्ञात पेंशन निधि अथवा पेंशन स्कीम शामिल है । आगे यह समझा जाता है कि एक संविदाकारी राज्य की अभिज्ञात पेंशन निधि अथवा पेंशन स्कीम को उस राज्य के सांविधिक उपबंधों के अनुसार अभिज्ञात एवं नियंत्रित किसी पेंशन निधि अथवा पेंशन स्कीम के रूप में समझा जाएगा, जिसे सामान्य तौर पर उस राज्य में आय के कराधान से छूट प्राप्त होती है और जिसे मुख्य रूप से पेंशन अथवा सेवानिवृति संबंधी लाभ प्रदान करने अथवा देने के लिए संचालित किया जाता है ।"

अनुच्छेद 10

प्रोतोकाल के पैराग्राफ 2 के पहले उप-पैराग्राफ को (अनुच्छेद 7 के संदर्भ में) हटाया जाएगा ।

अनुच्छेद 11

करार के प्रोतोकाल के पैराग्राफ 4 को हटाया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को रखा जाएगा :

"5. अनुच्छेदों 10, 11, 12 और 22 के सदर्भ में—

अनुच्छेदों 10, 11, 12 और 22 के उपबंध किसी लाभांश, ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा कनडिट व्यवस्था के तहत प्रदत्त अथवा उसके भाग के रूप में अन्य आय के संबंध में लागू नहीं होंगे । "कनडिट व्यवस्था" पद का तात्पर्य उस संव्यवहार अथवा संव्यवहारों की श्रृंखला से है जिसे ऐसे रूप में तैयार किया गया है कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी जो करार के लाभों के लिए हकदार है जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत आय की मद प्राप्त करता है, परन्तु वह निवासी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर, सम्पूर्ण अथवा पर्याप्ततः उस समस्त आय को (किसी भी समय अथवा किसी भी रूप में) उस दूसरे व्यक्ति को अदा करता है जो दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है और जो, यदि आय की उस मद को दूसरे संविदाकारी राज्य से सीधे ही प्राप्त करता है तो उस राज्य जिसमें वह दूसरा व्यक्ति निवासी है, के बीच और संविदाकारी राज्य, जिसमें आय उद्भूत होती है अथवा अन्यथा दोहरे कराधान के परिहार के लिए किसी अभिसमय अथवा करार के तहत आय की उस मद के संबंध में लाभों के लिए हकदार होगा जो, किसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी को इस करार के तहत उपलब्ध लाभों के सदृश अथवा अधिक अनुकुल है; और ऐसी अवसंरचना का मुख्य प्रयोजन इस करार के तहत लाभों को प्राप्त करना है ।

अनुच्छेदों 10 (लाभांश), 11 (ब्याज) और 12 (तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी एवं फीस) के संबंध में, यदि भारत और तीसरे राज्य जो ओईसीडी का सदस्य है, के बीच किसी अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल पर इस संशोधी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो भारत लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर आय की उक्त मदों पर इस करार में उपलब्ध दर से कम दर पर स्रोत पर इसके कराधान को सीमित करता है, वही दरें, जो आय की उक्त मदों पर उस अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल में उपलब्ध हैं, भी उसी तारीख से इस करार के तहत दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच लागू होंगी जिस तारीख को ऐसे अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल लागू होते हैं ।

यदि, इस संशोधी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद, भारत तीसरे राज्य, जो ओईसीडी का सदस्य है, के साथ कोई अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के तहत रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में कार्यसीमा को प्रतिबंधित करता है, जो इसकी तुलना में इस करार के अनुच्छेद 12 में आय की इन मदों

को तब स्विट्जरलैंड और भारत बिना किसी विलंब के वार्तालापों को शुरू करेंगे ताकि स्विट्जरलैंड को वही संव्यवहार मिल सके जैसा कि तीसरे राज्य को उपलब्ध कराया गया है ।"

अनुच्छेद 12

करार के प्रोतोकोल के पैराग्राफ 7 को (अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में) हटाया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को रखा जाएगा :

"8. अनुच्छेद 21 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में—

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभ पर लगाई जाती है और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है । तथापि, कर दर में अंतर 10 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होगा ।"

अनुच्छेद 13

करार में प्रोतोकोल के एक नये पैराग्राफ 10 को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा :

"10. अनुच्छेद 26 के संदर्भ में—

(क) यह समझा जाता है सूचना के आदान-प्रदान के लिए तभी अनुरोध किया जाएगा जब अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी राज्य ने उस सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने आन्तरिक कानूनों के तहत सभी सामान्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया हो ।

(ख) यह समझा जाता है कि अनुरोधकर्त्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी तभी अनुरोधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा जब करार के अनुच्छेद 26 के तहत सूचना हेतु अनुरोध किया हो ;

(i) जांचाधीन अथवा परीक्षाणाधीन व्यक्ति(यों) के नाम और यदि प्राप्य हो, तो अन्य ब्यौरे, जो उस व्यक्ति की पहचान, जैसे कि पता, जन्म-तिथि, वैवाहिक स्थिति, कर पहचान संख्या, को सुकर बनाती हो;

(ii) समयावधि, जिसके लिए सूचना अनुरोधित है;

(iii) मांगी गई सूचना का विवरण जिसमें इसका स्वरूप एवं ढंग, जिसमें प्राप्तकर्त्ता राज्य, अनुरोधित राज्य से सूचना प्राप्त करने की इच्छा रखता है, शामिल है;

(iv) कर प्रयोजन, जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

(v) नाम और यदि प्राप्य हो तो ऐसे व्यक्ति का पता जिसके पास अनुरोधित सूचना होने का अनुमान हो ।

(ख) यदि अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष तौर पर अनुरोध किया गया हो, तो अनुरोधित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में सूचना मुहैया कराएगा ।

(घ) सूचना का संदर्भ देने का प्रयोजन, जो पूर्वानुमानिक रूप से संगत हो सकता है का आशय, संविदाकारी राज्यों को "फिशिंग एक्पीडिशन्स" में लगे रहने अथवा उस सूचना के संबंध में अनुरोध करने से रोकते हुए जिसकी करदाता के कर मामलों हेतु संगत होने की संभावना नहीं है, विस्तृत संभावित सीमा तक कर मामलों में सूचना का आदान-प्रदान मुहैया कराना है । जबकि पैराग्राफ 10 के खंड (ख) में वह महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि फिशिंग एक्पीडिशन्स फिर से न हो, इस क्रम में फिर भी उप-खंड (i) से (v) की व्याख्या करने की आवश्यकता है ताकि प्रभावी सूचना के आदान-प्रदान में कोई बाधा न आए ।

(ड.) आगे यह समझा जाता है कि करार का अनुच्छेद 26 संविदाकारी राज्यों को स्वत: अथवा सहज आधार पर सूचना का आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं देगा ।

(च) यह समझा जाता है कि सूचना के आदान-प्रदान के मामले में, अनुरोधित संविदाकारी राज्य में उपलब्ध करदाताओं के अधिकारों के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रियात्मक नियम, अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी राज्य को सूचना भेजने से पहले लागू रहते हैं । आगे यह समझा जाता है कि इस उपबंध का उद्देश्य करदाता को उचित प्रक्रिया का आश्वासन देना है और न कि सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को रोकना अथवा उसमें अनुचित रूप से विलंब करना है ।

अनुच्छेद 14

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें राजनयिक माध्यमों के जरिए एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगी कि इस संशोधी प्रोतोकोल को लागू करने की सभी कानूनी अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है ।

2. संशोधी प्रोतोकोल, जो करार का अभिन्न अंग होगा, को पैराग्राफ में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बाद की अधिसूचना की तारीख को प्रवृत होगा, और इसके उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :

(क) भारत में,

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें संशोधी प्रोतोकोल प्रवृत हुआ है के अगले उत्तरवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में; और

(ख) स्विट्जरलैंड में,

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें संशोधी प्रोतोकोल प्रवृत हुआ है, के अगले उत्तरवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के होते हुए भी, करार के अनुच्छेद 26 के संबंध में इस संशोधी प्रोतोकोल में उपलब्ध सूचना

का आदान-प्रदान उस सूचना के संबंध में लागू होगा जो इस संशोधी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर की तारीख के अगले उत्तरवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित हो ।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से इस संशोधी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार दस के अगस्त माह के तीसवें दिन, अंग्रेजी, हिन्दी और जर्मन भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	स्विस परिसंघ काउंसिल की ओर से
(प्रणब मुखर्जी) वित्त मंत्री	(मिशलीन काल्मी-रे) अध्यक्ष, स्विस परिसंघ विदेश विभाग

[अधिसूचना सं. 62/201/फा. सं. 501/01/1973-एफटीडी-I]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव